



वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government) Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India) Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in
email: help@uktech.ac.in

प्रवेश हेतु संस्था स्तरीय काउंसिलिंग वर्ष 2026-27 की सूचना

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के कैम्पस संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु **B.TECH (Working Professional)** के पाठ्यक्रम में लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु संस्थानों में सीटें उपलब्ध होने के फलस्वरूप विशेष संस्था स्तरीय काउंसिलिंग का आयोजन दिनांक 09 अगस्त 2026 से दिनांक 13 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है:-

दिनांक 09 अगस्त 2026 से दिनांक 13 अगस्त 2026 तक संस्था स्तरीय काउंसिलिंग का कार्यक्रम		
प्रत्येक दिवस में पंजीकरण	प्रत्येक दिवस में सीट आवंटन	प्रत्येक दिवस में संस्था में अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों का UMS पोर्टल पर पंजीकरण, शुल्क जमा किये जाने एवं सत्यापन (Verify) का कार्य
10.00 AM TO 1.00 PM	2.00 PM	3.00 PM TO 5.00 PM

संस्था स्तरीय काउंसिलिंग शुल्क एवं काउंसिलिंग प्रक्रिया:-

- अभ्यर्थी जिस संस्था में प्रवेश के इच्छुक है उस संस्थान में व्यक्तिगत रूप से समस्त मूल अभिलेखों एवं उनकी 2-2 छायाप्रति एवं 2 फोटो के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण करायेंगे। पंजीकरण हेतु काउंसिलिंग शुल्क ₹ 2000/- (Non-Refundable) संस्था के माध्यम से जमा करना होगा।
- काउंसिलिंग प्रक्रिया दिनांक 09 अगस्त 2026 से दिनांक 13 अगस्त 2026 तक प्रत्येक दिवस में उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी।
- समस्त संस्थानों द्वारा प्रत्येक दिवस में पंजीकरण, सीट आवंटन, अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी एवं अगले दिन प्रातः 9.00 बजे से पूर्व नोटिस बोर्ड एवं संस्थान की वेबसाइट पर खाली सीटों की मैट्रिक्स प्रदर्शित करेंगे।
- समस्त संस्थान दिनांक 14 अगस्त 2026 को 5.00 बजे से पूर्व UMS पोर्टल पर पंजीकरण, सत्यापन (Verify) एवं शुल्क जमा करने का कार्य ऑनलाईन माध्यम से पूर्ण करेंगे। दिनांक 14 अगस्त 2026 के पश्चात UMS पोर्टल पर पंजीकरण एवं सत्यापन (Verify) का मॉड्यूल बंद कर दिया जायेगा एवं किसी भी दशा में पंजीकरण/प्रवेश स्वीकार्य नहीं होंगे। अतः संस्थान अंतिम तिथि अर्थात 14 अगस्त 2026 से पूर्व ही पंजीकरण/सत्यापन (Verify) एवं शुल्क जमा करने का कार्य पूर्ण कर लेंगे।
- संस्था स्तरीय काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व रिक्त सीटों की स्थिति प्रत्येक दिवस में प्रातः 9.00 बजे से पूर्व सम्बन्धित संस्थानों के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
- इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि प्रथम दिवस की काउंसिलिंग में उपस्थित होकर पंजीकरण करायें जिससे कि अधिक विकल्प प्राप्त हो सके।

प्रवेश (काउंसिलिंग) हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया:-

B.TECH (Working Professional) कार्यक्रम हेतु पात्रता मानदंड

1. पाठ्यक्रम की अवधि

पाठ्यक्रम की कुल अवधि 03 वर्ष होगी, जिसमें प्रत्येक वर्ष दो सेमेस्टर होंगे। यह व्यवस्था नियमित बी.टेक. लेटरल एंट्री कार्यक्रम के समान होगी तथा AICTE Approval Process 2024-25 Guidelines for Working Professionals (Engineering & Technology) के अनुरूप होगी।

2. प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निम्नवत दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

निर्धारित प्रारूप में ₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित एवं नोटरीकृत शपथ-पत्र (Affidavit)

निर्धारित प्रारूप में नियोक्ता (Employer) द्वारा संस्था के आधिकारिक लेटरहेड पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate - NOC).

प्रवेश के समय रिपोर्टिंग के दौरान उपरोक्त दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनके अभाव में अभ्यर्थी का प्रवेश विचारणीय नहीं होगा।

3. संस्थान से दूरी एवं उपस्थिति संबंधी प्रावधान

AICTE के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान से कार्यस्थल की अधिकतम अनुमेय रेडियल (सीधी) दूरी 50 किलोमीटर है। तथापि, संस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों (पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र) को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थी के कार्यस्थल/निवास से संस्थान तक की वास्तविक सड़क दूरी एवं यात्रा समय ऐसा होना चाहिए कि वह अपने कार्यालयीन कार्य समाप्त होने के पश्चात सोमवार से शनिवार सायं 5:30 बजे / 6:00 बजे से प्रारम्भ होने वाली कक्षाओं में नियमित रूप से भौतिक रूप से उपस्थित हो सके।

यह प्रावधान अभ्यर्थी की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के बी.टेक. वर्किंग प्रोफेशनल कार्यक्रम की अध्यादेश (Ordinance) में निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति संबंधी प्रावधानों के अनुपालन हेतु आवश्यक है।

➤ उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षा (**Qualifying Exam**) तथा अर्हता (**eligibility**) निम्नवत है:-

SN	COURSE	DURATION	QUALIFYING EXAM / ELIGIBILITY
1	B.TECH- WORKING PROFESSIONAL	3 Years	The eligibility criterion for these programmes will be as per "Approval Process 2024-25 Guidelines for Working Professional (Engineering & Technology) for Diploma UG and PG courses in Engineering & Technology and Approval process Handbook 2024-2027, Annexure-8 (Norms for Duration Entry Level Qualifications and Statutory Reservation for the Technical Programmes), which are reproduced for UG programme as below: 01- Professionals working in Registered Industry / Organization (Centre/ State/Private/Public Limited Company / MSMEs located within 50 KM radial distance from the Institute. 02- Minimum of One Year Full time/Regular working Experience 03- Qualification same as candidates eligible for Lateral Entry to Second year (As Specified in Approval process Handbook published by AICTE from time to time) Passed Minimum THREE year / TWO year (Lateral Entry) Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in ANY branch of Engineering and Technology. OR Passed B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) and passed 10+2 examination with Mathematics as a subject. OR Passed B.Voc /3-year D.Voc. Stream in the same or allied sector. (The University will offer suitable bridge courses such as Mathematics, Physics, Engineering drawing etc. for the student coming from diverse background to prepare Level playing field and desired learning outcomes of the programme)

- अभ्यर्थी को राज्य कोटे की आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य कोटे की सामान्य श्रेणी की सीट पर प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे।
- रविवार एवं अवकाश के दिवसों में भी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान रहेगी।